शासनादेश का संशोधन

संख्या-14 /2018/1764/46-3-18-3(36-ए)/2018

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उ.प्र., लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक 13 अक्टूबर, 2018**

विषय- पेराई सत्र 2016-17 एवं 2017-18 के बकाया गन्ना मूल्य का त्वरित व पूर्ण भुगतान कराये जाने के उद्देश्य से, प्रदेश में स्थित राष्ट्रीयकृत, अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों एवं उ.प्र. सहकारी बैंक के माध्यम से, प्रदेश के निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को राज्य सरकार द्वारा साफ्ट लोन दिये जाने के संबंध में "चीनी उपक्रमों-2018 को वित्तीय सहायता दिये जाने की योजना" लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश **संख्या-12**/2018/1698/46-3-18-3(36-ए)/2018, दिनांक 28 सितम्बर, 2018 का कृपया संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पेराई सत्र 2016-17 एवं 2017-18 के बकाया गन्ना मूल्य का त्वरित व पूर्ण भुगतान कराये जाने के उद्देश्य से, प्रदेश में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों एवं उ.प्र. सहकारी बैंक के माध्यम से, प्रदेश के निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को राज्य सरकार द्वारा साफ्ट लोन दिये जाने के संबंध में **"चीनी उपक्रमों-2018 को वित्तीय सहायता दिये जाने की योजना"** लागू किये जाने के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पूर्व निर्गत शासनादेश **संख्या-12**/2018/1698/46-3-18-3(36-ए)/2018, दिनांक 28 सितम्बर, 2018 में, वर्तमान प्रस्तर-4 (i) एवं प्रस्तर-4 (viii) के स्थान पर नया प्रस्तर-4 (i) एवं प्रस्तर-4 (viii) को निम्नवत प्रतिस्थापित करने एवं उक्त सीमा तक उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 28.09.2018 को संशोधित किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है:-

4-(i) **इस ऋण योजना को प्रदेश में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों, उ.प्र.सहकारी बैंक एवं प्रदेश की जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से लागू किया जायेगा तथा ऋण लेने वाली चीनी मिल अपना आवेदन बैंक के स्तर पर प्रस्तुत करेंगी।**

4-(viii) **इस शासनादेश एवं तत्क्रम में शासन स्तर से निर्गत की जाने वाली अधिसूचना के अनुसरण में सम्बन्धित बैंक द्वारा वे सभी ऋण जिसके लिए आवेदन 31 अक्टूबर, 2018 तक प्राप्त हो जाते हैं तथा 10 नवम्बर, 2018 तक स्वीकृत कर दिये जाते हैं और 25 नवम्बर, 2018 तक संवितरित कर दिए जाते हैं, उन्हें ही इस ऋण योजना के अन्तर्गत कवर किया जाएगा, किन्तु इस योजना के अन्तर्गत जिन चीनी मिलों के मामले नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (N.C.L.T.) में ग्राह्य हो चुके हों अथवा विचाराधीन हों एवं जिनके द्वारा पूर्व में लिए गये ऋण बैंक द्वारा एन.पी.ए .घोषित हो चुके हों, उन चीनी मिलों को ऋण स्वीकृत करने पर विचार नहीं किया जायेगा।**

3- उपर्युक्त् शासनादेश संख्या-12/2018/1698/46-3-18-3(36-ए)/2018, दिनांक 28 सितम्बर, 2018, इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय

संजय आर. भूसरेड्डी
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-14 /2018/ 1764 (1)/46-3-18-3(36-ए)/2018, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/संस्थागत वित्त/सहकारिता/न्याय विभाग, उ.प्र. शासन।
2- प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उ.प्र. शासन।
3- सचिव, भारत सरकार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4- सचिव, भारत सरकार, वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, जीवनदीप बिल्डिंग, नई दिल्ली।
5- संयुक्त सचिव, भारत सरकार (शर्करा), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
7- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ।
10- प्रबन्ध निदेशक, उ. प्र. राज्य चीनी निगम लि., लखनऊ।
11- महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उ.प्र., लखनऊ।
12- क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, गोमती नगर, लखनऊ।
13- मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
14- मुख्य आंचलिक प्रबन्धक, बैंक आफ बड़ौदा, **(लीड बैंक)**, गोमती नगर, लखनऊ को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से प्रदेश में स्थित सभी बैंकों को इस योजना के प्राविधानों से अवगत कराने एवं निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को गन्ना मूल्य भुगतान के लिए योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृत करने के संबंध में कार्यवाही किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश/गाइडलाइन निर्गत कराने का कष्ट करें।
15- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी बैंक लि., लखनऊ को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश एवं योजना के संबंध में निर्गत पूर्वोक्त शासनादेश दिनांक 28.09.2018 को अपने स्तर से प्रदेश के समस्त जिला सहकारी बैंको को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें।
16- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
17- महासचिव, उ.प्र. शुगर मिल्स एसोसियेशन, चिन्टल हाउस, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इस योजना को अपने स्तर से सभी सदस्य निजी चीनी मिलों को परिचालित/संसूचित करने का कष्ट करें।
18- समस्त परिक्षेत्रीय-उप/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
19- समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
20- समस्त अध्यासी, निजी क्षेत्र की चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश। **(द्वारा-गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ के माध्यम से)**
21- चीनी उद्योग अनुभाग-1/2
22- गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

नरेश बहादुर
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।